



Government of India
Ministry of Railways
Railway Board

RBA No. 075/2020
GST Circular No. 042/2020

No. 2018/AC-II/1/57

18th September, 2020
22

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Accounting Process for IRFC Infrastructure Leasing Contract.

Ref: Railway Board's letter dated 20th April, 2020 (RBA No. 41/2020)

Railway Board's letter ibid brings out the accounting process for IRFC Infrastructure Leasing Contract. As per para (iv) of the letter ibid, it was brought out that at the end of month, on the basis of statement made available by CRIS, concerned Accounting Unit shall transfer the money to IRFC in their designated Bank Accounts, to enable IRFC to remit the Income Tax and GST well on time to the Government. However, a cursory review of this system reveals that many Railway are not remitting the funds on time and this is resulting in IRFC borrowing the money to pay tax and therefore is resulting into additional avoidable cost to IRFC and IR. This issue has been reviewed and following changes in the process is brought out with immediate effect.

- a. Suppose vendor M/s XYZ has submitted a bill for Rs. 118/- and this has to be met out of EBR-IF Fund.
 - i. Gross Amount admitted for payment is Rs. 118/- (Rs. 100/- base amount + Rs. 18/- GST)
 - ii. GST-TDS on base amount is Rs. 2.00
 - iii. IT-TDS is Rs. 2.00
 - iv. Retention money (to be inputted by user) is Rs. 5.00
 - v. Net amount payable to vendor on behalf of IRFC is Rs. 109.00
 - vi. Any other recoveries as per contract viz., LD, etc shall be worked out and accordingly accounted for as per procedure.
- b. Accounting entries at the time of payment to vendor.
 - i. EBR-IF (Expenditure Head) 83XXXXXX --- Dr Rs. 118.00
 - ii. Deposit Misc (Retention Money/Security Deposit, etc) --- Cr. Rs. 5.00
 - iii. Cheques and Bills ----00867702 --- Cr

Vendor (XYZ) Rs. 109.00
IRFC Rs. 4.00
- c. Out of the amount of Rs. 113.00 booked to Cheques and Bills, payment of Rs. 109.00 to be made to M/s XYZ (vendor) and Rs 4.00 to IRFC in the designated IRFC's Bank Accounts for the

✓

concerned State circulated to all Railways vide RBA No. 50/2020 dated 2.6.2020. These payments shall be transferred to concerned parties through CIPS.

d. All the other process mentioned therein except above, remains unchanged.

All the Zonal Railway may ensure compliance of the above in consultation with their GST Consultants. CRIS is also requested to provide necessary assistance by creating this facility in the IPAS.. This issue with the approval of competent authority.


(V.Prakash)
**Joint Director/Accounts
Railway Board**

Copy to:-

1. All PFAs, Zonal Railways and Production Units,
2. EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
3. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
4. MD/IRFC
5. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

आरबीए सं. 075/2020

जीएसटी परिपत्र सं. 042/2020

सं. 2018/एसी-II/1/57

18 सितंबर, 2020

महाप्रबंधक,

सभी ज़ोनल रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : आईआरएफसी अवसंरचना लीजिंग संविदा के लिए लेखा प्रक्रिया।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दिनांक 20 अप्रैल, 2020 का पत्र (आरबीए सं. 41/2020)

रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र द्वारा आईआरएफसी अवसंरचना लीजिंग संविदा के लिए लेखा प्रक्रिया लाई जा रही है। उक्त पत्र के पैरा(iv) के अनुसार यह लाया गया था कि माह के अंत में, क्रिस द्वारा उपलब्ध करवाए गए विवरण के आधार पर, संबंधित लेखा इकाई आईआरएफसी को उनके नामित बैंक खाते में धन का अंतरण करेगा ताकि आईआरएफसी आय कर और जीएसटी सरकार को समय पर प्रेषित कर सके। बहरहाल, इस प्रणाली की त्वरित समीक्षा से पता चला है कि कई रेलें निधियों का प्रेषण समय पर नहीं कर रही हैं और जिसके परिणामस्वरूप आईआरएफसी को कर का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ रहा है और इस प्रकार

आईआरएफसी एवं भारतीय रेल पर अतिरिक्त परिवर्जनीय लागत आती है। इस मामले की समीक्षा की गई और प्रक्रिया में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं।

क. माना कि विक्रेता मैसर्स एक्सवाईजेड ने 118/- रु. का बिल प्रस्तुत किया और इसे ईबीआर-आईएफ निधि से पूरा किया जाना है।

- i. भुगतान के लिए जमा कराई गई कुल राशि 118/- रु. है (मूल राशि 100/- रु. + 18/- रु. जीएसटी)
- ii. मूल राशि पर जीएसटी-टीडीएस 2 रु. है
- iii. आईटी-टीडीएस 2 रु. है
- iv. प्रतिधारण राशि (उपभोक्ता द्वारा डाली जाने वाली) 5 रु. है
- v. आईआरएफसी की ओर से विक्रेता को देय कुल राशि 109 रु. है
- vi. संविदा के अनुसार कोई अन्य वसूलियां जैसे एलडी इत्यादि का पूर्वाकलन किया जाए और तदनुसार प्रक्रिया के अनुसार इसकी गणना की जाए।

ख. विक्रेता को भुगतान करते समय लेखा प्रविष्टियां।

- | | | | |
|------|---|------------|--------------|
| i. | ईबीआर-आईएफ (व्यय शीर्ष) 83XXXXXX | ---डेबिट | 118.00/- रु. |
| ii. | विविध जमा (प्रतिधारण राशि/सुरक्षा जमा, इत्यादि) | ---क्रेडिट | 5.00/- रु. |
| iii. | चेक एवं बिल --- 00867702 | ---क्रेडिट | |
| | विक्रेता(एक्सवाईजेड) | | 109.00 रु. |
| | आईआरएफसी | | 4.00 रु. |

ग. चेक एवं बिल में बुक की गई 113.00 रु. की राशि में से, 109.00 रु. का भुगतान विक्रेता मैसर्स एक्सवाईजेड (विक्रेता) को और 4.00 रु. का भुगतान आईआरएफसी को दिनांक 2.6.2020 के आरबीए सं. 50/2020 तहत सभी रेलों को परिपत्रित संबंधित राज्य के लिए आईआरएफसी के नामित बैंक में किया जाना है। ये भुगतान संबंधित पार्टियों को सीआईपीएस द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा।

घ. उपरोक्त के अलावा अन्य सभी उल्लिखित प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी।

सभी मुख्य रेलें अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। क्रिस से भी अनुरोध है कि इस संबंध में आईपीएस में इस सुविधा को तैयार करके आवश्यक सहायता प्रदान करें। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(वी.प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी मुख्य वित्त सलाहकार, क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां,
2. कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड
3. सभी निदेशक, निदेशक स्तर का जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड
4. प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी
5. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस